क्षेत्रीय कार्यालय फोन : 2529157

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ब्लाक ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा, जनपद–गौतमबुद्ध नगर

संदर्भ संख्या 2627/9/R-89/16

पंजीकृत

दिनांक 29-1-16

मै0 रादनिक एक्सपोर्ट्स,
ई–2, सेक्टर–59,
नोएडा, गौतमबुद्धनगर

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक शून्य दिनांक 02–1–2016 के साथ संलग्न आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 9/1/1/11/16 दिनांक 29-1-16 सलंगन हैं। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं0 1,2,7,8,9,10 पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा हैं।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। जल मीटर की मापी गई रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेंजे।

3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी नाच या कोई मापक यंत्र लगवायें, वी–नाच की मापी गई सूचनाये तथा कैलीबेशन चार्ट समय – समय पर प्रेषित करें।

4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण सयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

5. आपके उद्योग की ऑडिट की हुई वर्ष............................ की बेलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पति + वर्तमान सम्पति – वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रेषित करने की निर्देश दिये जाते हैं। जिससे की आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।

6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य हैं। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाये।

7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे की उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।

9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण कर जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ब्लाक ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा जनपद–गौतमबुद्ध नगर

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए

वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संख्या 9/1/11/16 (सहमति/जल आदेश/ R-89 नोएडा, दिनांक 29-1-16

विषयः रादनिक एक्सपोर्ट्स,ई–2, सेक्टर–59,नोएडा, गौतमबुद्धनगर को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक 02–1–2016

10. जल राशि या सीवर में भूमि पर वर्हिभाव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है कि अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में उपरोक्त को उसके परिवार से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्यौगिक वर्हिःभाव के स्थानीय सरिता/नदी/कुऐं/ में भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 02–01–2016 से 31–12–2018 के लिए मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तो पर पुनः/विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं।

4.

संलग्नक : अनुलग्नक

Atulesh Yadav
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner